रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 2017/श्रावण 18, 1939
No. 684] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 2017/SRAVANA 18, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2017

सा.का.नि.1005(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधिनियम 8) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन नियम, 1959 में,-

(i) नियम 3 के उपनियम (1) के परंतुक में "प्ररूप 1 या प्ररूप 1क, जैसा कि समुचित हो", शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "प्ररूप 1" शब्द और अंक रखे जाएंगे :

(ii) प्ररूप 1, के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 1

[नियम 3(1)]

मैं.....का/की पुत्र/ पुत्री/ पत्नी.....आयु.....का निवासी यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं :

(क) सिख हूं ;

(ख) अपनी दाढ़ी नहीं बनाता हूं या केश नहीं कतरता/ कतरती हूं ;

(ग) किसी भी रूप में, धूम्रपान नहीं करता/करती हूं या कुट्ठा (हलाल) मांस का उपयोग नहीं करता/ करती हूं ;

(घ) मद्यसारिक पेय नहीं लेता /लेती हूं ; और

(ङ) पतित नहीं हूं* :

हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान**

*पतित से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो केशधारी सिख होते हुए अपनी दाढ़ी बनाता है या केश कतरता है या जो अमृत छकने के पश्चात् चार कुरहतों में से कोई एक या अधिक करता है ।

**किसी निरक्षर व्यक्ति की दशा में, उसे उस घोषणा को दुहराना चाहिए, जो प्ररूप से पढ़ी जाए, और तब प्ररूप पर अंगूठा निशान लगाना चाहिए ।

(अनूसचित जाति के आवेदक द्वारा की जाने वाली अतिरिक्त घोषणा)

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं.....जाति का/की सदस्य हूं जो संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जाति के रूप में घोषित की गई है ।

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान" ;

(iii) प्ररूप 1क का लोप किया जाता है ।

[फा. सं.1/17014/15/2014-आई एस-VII]
सुधीर कुमार सक्सैना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2017

G.S.R.1005 (E).— In exercise of the powers conferred by section 146 of the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sikh Gurdwaras Board Election Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Sikh Gurdwaras Board Election (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sikh Gurdwaras Board Election Rules, 1959, -

(i) in the proviso to sub-rule (1) of rule 3 for the words, figures and letter "Form I or Form I A, as may be appropriate," the word and figure "Form I" shall be substituted:

(ii) For Form I, the following Form shall be substituted, namely :-

"Form I

[rule 3(1)]

I …… ….. …… ….,son/daughter/wife of …… ….. ……

Age ……Residence…… …… ……

hereby declare that:-

(a) I am a Sikh;
(b) I do not trim or shave my beard or keshas;
(c) I do not smoke or use Kutha (Halal) meat, in any form;
(d) I do not take alcoholic drinks; and
(e) I am not a patit:*

*Signature/Thumb Mark***

** patit means a person who being Keshdhari Sikh trims or shaves his beard or keshas or who after taking Amrit commits any one or more of the four Kurahits.*

***in case of an illiterate he should repeat the declaration, as read out from the Form, and then thumb mark the Form.*

(Further declaration to be made by Scheduled Caste applicant)

I hereby declare that I am a member of the …….. caste which has been declared to be a Scheduled Caste under Article 341 of the Constitution.

Signature/Thumb Mark";

(iii) Form I A shall be omitted.

[F.No.1/17014/15/2014-IS-VII]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.09 15:59:49 +05'30'